

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
76/22	188 RTA	29/42	5051
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
हजारी		बनाम	नन्दकिशोर तगै.

वकील :- शुभेन्द्र शर्मा

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
8/22	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.08.2022 को पेश हो।	
23/8/22	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28/8/22 को पेश हो। [Signature] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
28/8/22	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28/8/22 को पेश हो। [Signature] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
23/11/22	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 18/10/23 को पेश हो। [Signature] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
18/11/23	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28/10/23 को पेश हो। [Signature] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

10.2.25

पत्रावली पत्र 3571 वकील काडी उभा वकील काडी
काड पत्र को आगे भेजना कभी पाएते से मत
प्रेस काल पाएते से काडी का काड मत प्रेस
किया जात से पत्रावली केवल मुठाट केकर
काड लगील वकील के दाखिल इफर का

शु

Notpress
Circular